सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 392 राँची, बुधवार, 20 अगस्त, 2025 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

अधिसूचना

18 अगस्त, 2025

सं.सं.-सी.एस.-01/आर.-08/2024 -1067 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका नियमावली-2000 के नियम 6(1) के अनुसार, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की अधिसूचना संख्या-1679, दिनांक-06.12.2024 द्वारा आवंटित कार्यों में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यमंत्री, झारखण्ड की सलाह से, झारखण्ड के राज्यपाल, सरकार के विभागों का कार्य निम्नलिखित रूप से आंवटित करते हैं-

क्र॰	मुख्यमंत्री/मंत्री का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री	1. पूर्व में आवंटित विभागों के अतिरिक्त 2. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 3. निबंधन विभाग

2. इस संबंध में, पूर्व में निर्गत अधिसूचना द्वारा आंवटित सरकार के विभागों के शेष कार्य यथावत् रहेंगे।

3. इसे तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(वंदना दादेल)

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 392 - 50